29.07.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित।
वकील वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना कर सीधे बहस का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी की बहस प्रा० पत्र O-7 R-11 CPC सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं.1 का प्रा० पत्र स्वीकार योग्य होने पर स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(सुनीलकुमार-चौहान)
RAS.